न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव(आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 03/2013

बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

मुरलीधर पुत्र सूरजमल जाति–कुम्हार उम्र–40 साल नि. तलाईपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला–बारां **(गैरसायल)**

अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. **(सायल)**

2– श्री कमलेश दुबे, अभिभाषक **(गैरसायल)**

निर्णय दिनांक– 25.07.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल मुरलीधर पुत्र सूरजमल जाति–कुम्हार उम्र–40 साल नि. तलाईपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी अन्ता जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल मुरलीधर पुत्र सूरजमल जाति–कुम्हार की आम शोहरत खराब है, आये दिन जुआ सट्टा खेलना व खिलाने का आदी है जिससे मोहल्ले में बुरा प्रभाव पडता है जिसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढती जा रहीं है। इसके डर के कारण आसपास के मोहल्ले वाले सम्य एवं गरीब व्यक्ति इसके खिलाफ थाने में शिकायत व रिपोर्ट से कतराते है तथा इससे भय खाते है। इसकी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण किसी भ समय कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। इसकी आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है जिसका इस तरह स्वतंत्र रहना न्यायोचित नहीं है। गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0	न्यायालय का निर्णय
1.	42/89	13 आर0पी0जी0ओ0	24/13.03.89	सजा दिनांक 23.11.90
2.	323/99	13 आर0पी0जी0ओ0	219/27.9.99	सजा दिनांक 07.10.99
3.	246/08	13 आर0पी0जी0ओ0	191/2.8.08	सजा 08.08.08
4.	287/08	13 आर0पी.जी0ओ0	225/6.9.08	सजा 20.9.08
5.	116/12	13 आर0पी.जी0ओ0	66/21.3.12	पेन्डिग कोर्ट

अतः गैरसायल मुरलीधर पुत्र सूरजमल जाति–कुम्हार उम्र–40 साल नि. तलाईपाडा अन्ता थाना–अन्ता की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एंव नियंत्रण रखने व क्षैत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर उसे राज. गुण्डा

नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल दिनांक 26.02.2012 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 25.6.2013 को जवाब नोटिस पेश किया। जवाब मे कथन किया है कि प्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व दर्शाये गये मुकदमों का निर्णय हो चुका है। उसके विरूद्व विगत एक वर्ष में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। थानाधिकारी का विवरण अपूर्ण व अस्पष्ट है। उसके विरूद्व चारित्रिक हनन या कोई संगीन अपराध कभी नहीं रहा है। नोटिस बेबुनियाद है जिसे साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिये। प्रार्थी शांतिपूर्वक जीवनयापन कर रहा है, कभी भी समाज के विरूद्व किसी आपराधिक कार्यवाहीं में लिप्त नहीं रहा है। अतः नोटिस की कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

गैरसायल का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में अभियोजन पक्ष की शहादत पी. डब्ल्यु. 1 श्री शरीफ अहमद,स0उ0नि0 थाना–अन्ता ली गई तथा गैरसायल की ओर से साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 श्री जगदीश पुत्र रामलाल नि. ग्राम बमोरी व डी.डब्ल्यू.–2 श्री बनवारीलाल पुत्र रामकरण बैरागी नि. अन्ता ली गयी। तदुपरान्त बहस ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार एवं अभिभाषक गैरसायल सुनी गई।

बहस के दौरान ए.पी.पी. का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में जुआ सट्टा खेलने खिलानें व लडाई झगडा मारपीट करने संबंधी 5 दर्ज हुये है, जिसमें गैरसायल को दोषसिद्व किया गया है। इसके आचरण से समाज में भय व आंतक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य तथा निर्णित प्रकरणों मे सजा होने से यह साबित है कि गैरसायल आदतन अपराधी है, जो गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावें।

इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस्तगासे मे वर्णित प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। वर्तमान में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है जिन प्रकरणों का हवाला देकर प्रकरण दर्ज कराया गया है, वह सभी सामान्य प्रवृत्ति के है जिनके आधार पर गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उसके विरूद्व वर्ष 2012 के बाद किसी भी न्यायालय में किसी भी धारा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना हाजा ने जो प्रकरण दर्ज बताये है वह भी निर्णित हो चुके है वह शांतिपूर्वक आम आदमी की तरह मजदूरी करके अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है। थाना–अन्ता ने जानबूझ कर बिना किसी आधार के उसके विरूद्व इस्तगासा पेश किया है। उसके विरूद्व वर्ष 2012 के पश्चात् कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। जो रेकार्ड व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से भी प्रमाणित होता है। राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के प्रावधानों के तहत गुण्डा घोषित किये जाने से पूर्व छः माह में प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है। संबंधित थाना द्वारा इन सभी बातो को बिना गौर किये उसके विरूद्व इस्तगासा प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त किया जावें।

हमने ए.पी.पी. व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी व प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया तथा बयान अभियोजन सरकार पक्ष व गैरसायल पक्ष पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि इस्तगासे में गैरसायल के विरूद्व 5 प्रकरण दर्ज हुये है, इन सभी प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। गैरसायल के विरूद्व जो प्रकरण दर्ज हुए है वह सभी प्रकरण वर्ष 2012 के पूर्व के है। अभिभाषक का कथन है कि यदि छः माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तो गुण्डा

अधिनियम के तहत उसे गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति से प्रतीत होता है कि गैरसायल की वर्तमान में आम शोहरत ठीक है तथा वर्ष 2012 के पश्चात् कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। गैरसायल वर्तमान में एक शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप मे रह रहा है, इसकी पुष्टि गैरसायल के साक्ष्य डी.डब्ल्यु. 1 व डी. डब्ल्यु.2 से होती है।

अतः स्पष्ट है कि गैरसायल के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुये है व निर्णित हो चुके है। इसके बाद गैरसायल के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी, लडाई झगडा, सट्टा लगाने व शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को गुण्डा घोषित नही किया जा सकता। इसलिये राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत इस्तागासे को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा गैरसायल मुरलीधर पुत्र सूरजमल जाति–कुम्हार उम्र–40 साल नि. तलाईपाडा अन्ता थाना–अन्ता जिला बारां के विरूद्व प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का इस्तगासा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां व थानाधिकारी, थाना–अन्ता को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.07 10:33:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: